भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2628

उत्तर देने की तारीख 14 दिसम्बर, 2021

23 अग्रहायण, 1943 (शक)

महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न

2628. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री रवि किशन:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री बिद्युत बरण महतो:
श्री प्रताप राव जाधव:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में चल रहे विभिन्न खेल निकायों में महिला खिलाड़ियों, कोचों, सहयोगी कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के संबंध में विभिन्न शिकायतें/ मामले प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष मे प्रत्येक के दौरान राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ड.) सरकार द्वारा खेल निकायों और खेल कोचिंग केंद्रों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग) : युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान यौन उत्पीड़न की 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो साई के तिरुवनंतपुरम (केरल), बेंगलुरु (कर्नाटक), कोलकाता

(पश्चिम बंगाल), गांधी नगर (गुजरात), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली स्थित केंद्रों से मिली हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	प्राप्त शिकायतें
2018	7
2019	6
2020	1
2021	3

(घ) और (ङ) : इन शिकायतों पर कार्रवाई कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो अधिनियम), 2012 के अनुसार की जाती है। साई के सभी प्रशिक्षण केंद्रों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था की गई है और ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए समुचित तंत्र स्थापित किया गया है।

साई के कर्मचारियों और जहां घटना साई परिसर के भीतर हुई है, के संबंध में कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एक अन्य मामले में, साई के एक कोच पर साई परिसर के बाहर यौन उत्पीड़न कदाचार का आरोप लगाया गया है, जिसके संबंध में आपराधिक कार्यवाही चल रही है। सभी 16 शिकायतों का निपटान स्थापित प्रक्रिया के तहत किया गया है।

साई के विभिन्न केंद्रों में आंतरिक शिकायत समितियां गठित की गई हैं, जिनमें समिति की अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला अधिकारी होती है। साई में एक 24x7 कॉल सेंटर भी कार्य कर रहा है जहां प्रशिक्षु शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जब भी टीमें बाहर खेलने जाती हैं तो महिला कोच/महिला प्रबंधक उनके साथ होती हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को खेलों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित अनुदेश जारी किए गए हैं जो भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 का हिस्सा हैं।

*****